पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 154/2025

अनवान :

1. विजयसिंह पुत्र भालसिंह जाति जाट निवारी शेरड़ा तहसील भादरा हनुमानगढ़।

:— वादी

बनाम

1. भालसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र भालसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हनुमानगढ़।
3. मुकेश पुत्री भालसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र पंचार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढ़वाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 493/469 के ख0सं0 800 की 4.553 है0, खसरा संख्या 919 की 10.118 है0 बारानी, कुल खसरे 2 की कुल रकबा 14.671 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भालसिंह का 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 479/449 के ख0सं0 753 की 7.588 है0 बारानी, कुल खसरे 1 की कुल रकबा 7.588 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भालसिंह का 459/7588 हिस्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाय वादी विजयसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 भालसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 विनोद कुमार को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:25:58 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उडसरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़